# POLICE COMMISSIONERATE

# GAUTAM BUDH NAGAR

## सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 04.12.2025

### 1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 11 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस तैयार व करीब 2 करोड़ रुपये का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन व कूटरचित GST बिल बरामद ।

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक **04.12.2025** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस** द्वारा संकलित सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान, वादी के साथ कंपनी के अकाउंट सेक्शन में कार्य करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न/जीएसटी पोर्टल पर लगभग 11 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस बनाकर करीब 2 करोड़ रुपये का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त अब्दुल राजीक उर्फ़ अब्दुल रज्जाक पुत्र मोहम्मद अस्दुल्लाह को नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन व कूटरचित GST बिल बरामद किए गए है ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 02.08.2025 को अकाउंटेन्ट (अभियुक्त अब्दुल रज्जाक) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जीएसटी पोर्टल में कम्पनी की आईडी व पासवर्ड को हैक करके लगभग 11 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस भेजकर करीब 2 करोड़ रुपये का जीएसटी क्लेम लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर लिखित सूचना देकर मु0अ0सं0 81/2025 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 352, 351(2), 351(3), 61(2) BNS व 66C आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

**पूछताछ का विवरण–** पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अकाउंटेंट का काम करता है और GST का क्लेम का कार्य भी करता है। उसी दौरान जीएसटी कार्यालय में आते-जाते उसकी मुलाकात अभियुक्त अभिनव त्यागी से हुई थी, जिसके द्वारा GST बिल खरीदने वाले ग्राहक उपलब्ध कराने के बदले 01 प्रतिशत कमीशन देने की बात हुई थी। अभियुक्त द्वारा कई फर्जी बिल पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त अभिनव त्यागी से प्राप्त कर ग्राहकों को प्रदान किए गए। जिनमें बदले में ग्राहकों से प्राप्त धनराशि में से कमीशन काटकर करीब 01 लाख रुपये रखकर, अभियुक्त अब्दुल राजीक उर्फ़ अब्दुल रज्जाक द्वारा शेष धनराशि अभियुक्त अभिनव त्यागी को दी गई ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--**

अब्दुल राजीक उर्फ़ अब्दुल रज्जाक पुत्र मोहम्मद अस्दुल्लाह, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी बसहिया शेख, पोस्ट व थाना पिपराढ़ी, शिवहर (बिहार) वर्तमान पता जाकिर नगर, मेन रोड, बाटला हाउस, दिल्ली ।

**बरामदगी का विवरण--**

1. 01 मोबाइल फोन
2. कूटरचित GST बिल

**नोटः- साइबर जागरूकता सुझाव**

1– साइबर से सम्बन्धित किसी भी समस्या हेतु हेल्पलाइन 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

2– किसी अज्ञात लिंक, कॉल, ईमेल या मैसेज पर विश्वास न करें तथा OTP, बैंक विवरण, पासवर्ड आदि किसी के साथ साझा न करें।

3– KYC, इनाम, कैशबैक, लोन या क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर आने वाले कॉल/मैसेज से सतर्क रहें।

4– सोशल मीडिया एवं बैंकिंग खातों में मजबूत पासवर्ड व टू-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन (2FA) का उपयोग अवश्य करें।

## 2. थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा गाँजा की तस्करी करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 64 किलोग्राम गाँजा (अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रूपये) व 01 चोरी का ई-रिक्शा बरामद ।

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक **04.12.2025** को **थाना फेस-1 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से पश्चिम बंगाल राज्य से ट्रेन द्वारा अवैध गाँजा की तस्करी एनसीआर-दिल्ली क्षेत्र में करने वाला अन्तर्राज्यीय गाँजा तस्कर अभियुक्त निताई सरकार उर्फ चूपा पुत्र केस्टोलाल सरकार को झुण्डपुरा बॉर्डर से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से **64 किलोग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया है। बरामद अवैध गाँजा की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रूपये है** ।

**पूछताछ का विवरण--** अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह गांजा पश्चिम बंगाल से ट्रेन में 5 किलोग्राम से 6 किलोग्राम के छोटे-छोटे पैकेट की पैंकिग कर ट्रेन के अलग-अलग बोगियों में रखकर लाता है तथा दिल्ली आकर ट्रेन से उतार लेता है। वह पश्चिम बंगाल से बडी मात्रा में विशेष किस्म का गोल्डन मिर्ची गांजा लाकर दिल्ली में अपने द्वारा पूर्व मे चुराई गयी ई-रिक्शा में रखकर फुटकर विक्रेताओं को सप्लाई कर मुनाफा कमाता है। अभियुक्त वर्ष 2019 मे अपनी पत्नी के साथ 17 किलोग्राम गांजा की तस्करी करते हुए थाना सेक्टर-39 क्षेत्र से पकड़ा गया था। अभियुक्त करीब 8 साल से अवैध गांजा की तस्करी कर रहा है, जिसके विरूद्ध दिल्ली व एनसीआर के थानो में आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है ।

**अभियुक्त का विवरण--** निताई सरकार उर्फ चूपा बंगाली पुत्र केस्टोलाल सरकार निवासी मूल पता ग्राम आजादपुर, थाना कुमारगंज, जिला दक्षिण दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल वर्तमान पता छलैरा सेक्टर-44, नोएडा थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 47 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0-195/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट (70 किलो अवैध गांजा) थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-807/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट (01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा) थाना से0-39, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-994/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट (02 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा) थाना से0-39, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-743/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट (17 किलोग्राम अवैध गांजा) थाना से0-39, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-02/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट (03 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा) थाना से0-63, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-600/2017 धारा 20/61/85 एनडीपीएस एक्ट ( 17 किलोग्राम अवैध गांजा) थाना जैतपुर, साउथ ईस्ट दिल्ली।
7. मु0अ0सं0-513/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 317(5) बीएनएस(64 किलोग्राम अवैध गांजा व चोरी की ई-रिक्शा) थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी का विवरण--**

1. 64 किलोग्राम अवैध गाँजा (अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रूपये)
2. 01 चोरी का ई-रिक्शा

## 3. थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 10 किलोग्राम गांजा बरामद।

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक **04.12.2025** को **थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त मौहम्मद इमरान उर्फ शाहरूख उर्फ मुराद उर्फ दिल्ला पुत्र साहबुद्दीन को गन्दे नाले की पटरी के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है।

**पूछताछ का विवरण--** पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह कम दामो में गांजा खरीदकर लाता है तथा आस-पास के क्षेत्र में अधिक दाम में बेचकर मुनाफा कमाता है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के गांजा स्त्रोत के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

**अभियुक्त का विवरण--** मौहम्मद इमरान उर्फ शाहरूख उर्फ मुराद उर्फ दिल्ला पुत्र स्व0 साहबुद्दीन निवासी ईदगाह शहीद नगर, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1.मु0अ0सं0 539/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-24, नोएडा।

2.मु0अ0सं0 40/2019 धारा 379/511 भा0 द0 वि0 थाना कोतवाली नोर्थ ईस्ट, दिल्ली।

3.मु0अ0सं0 441/25 धारा 304 (2)/317(2)/(3)(5) बीएनएस पडपडगंज, दिल्ली।

4.मु0अ0सं0 13/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना राजीव चौक, दिल्ली।

5.मु0अ0सं0 29/17 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन, दिल्ली।

6.मु0अ0सं0 244/2018 धारा 392/411/34 भा0द0वि0 थाना दरियागंज, दिल्ली।

7.मु0अ0सं0 250/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना शकरपुर, दिल्ली।

8.मु0अ0सं0 961/16 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सीमापुरी, दिल्ली।

9.मु0अ0सं0 793/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सीमापुरी, दिल्ली।

10 मु0अ0सं0 258/18 धारा 379 भा0द0वि0 थाना कोतवाली, दिल्ली।

11.मु0अ0सं0 846/18 धारा 379 भा0द0वि0 थाना कोतवाली, दिल्ली।

12.मु0अ0सं0 470/18 धारा 379 भा0द0वि0 थाना कोतवाली, दिल्ली।

13.मु0अ0सं0 573/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना सीमापुरी, दिल्ली।

14.मु0अ0सं0 259/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना सीमापुरी, दिल्ली।

15.मु0अ0सं0 99/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना सीमापुरी, दिल्ली।

16.मु0अ0सं0 488/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना सीमापुरी, दिल्ली।

17.मु0अ0सं0 17/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना सीमापुरी, दिल्ली।

18.मु0अ0सं0 221/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना सीमापुरी, दिल्ली।

19.मु0अ0सं0 239/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना ई पुलिस स्टेशन, दिल्ली।

20.मु0अ0सं0 373 /16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना ई पुलिस स्टेशन, दिल्ली।

21.मु0अ0सं0 595/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना ई पुलिस स्टेशन, दिल्ली।

22..मु0अ0सं0 981/16 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सीमापुरी, दिल्ली।

**बरामदगी का विवरण--**

10 किलोग्राम गाँजा